



## डफ़ॉल्ट ज़मानत का अधिकार

यह एडिटरियल 16/05/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "A Court recall that impacts the rights of the accused" लेख पर आधारित है। इसमें डफ़ॉल्ट ज़मानत पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल के नरिणय और इससे संबद्ध अन्य मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

### प्रलिस के लिये:

डफ़ॉल्ट ज़मानत, सर्वोच्च न्यायालय, अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167, अनुच्छेद 21, मूल अधिकार।

### मेन्स के लिये:

डफ़ॉल्ट ज़मानत और संबधित प्रावधान, पक्ष और वपिक्ष में तर्क, आगे की राह

ज़मानत (Bail) कसिी एसे व्यक्त की अस्थायी रहिई को संदर्भित करता है जसिे गरिफ़तार कया गया है या उसे कसिी अपराध के लिये आरोपित कया गया है और उस पर वचिारण (Trial) या न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति लंबित है।

केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियों द्वारा आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखल करने में 'कठिनाइयों का सामना करने' संबंधी आग्रह पर वचिार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के एक नरिणय में नचिली अदालतों को नरिदेश दया कि वे [redacted] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय को आधार बनाए बना, अर्थात् स्वतंत्र रूप से, लंबित डफ़ॉल्ट ज़मानत आवेदनों पर नरिणय ले सकते हैं।

यह नरिणय चतिाजनक है कयोंकि:

- यह डफ़ॉल्ट ज़मानत के अधिकार को कमज़ोर कर सकता है।
- आरोपी के संवैधानिक अधिकारों पर अन्वेषण अधिकारियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- नरिणय का अभियुक्तों के संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।
- प्रशासनिक सुवधि के लिये प्रक्रियात्मक वैधता (Procedural Legitimacy) का त्याग नहीं कया जाना चाहिये।

## डफ़ॉल्ट ज़मानत क्या है?

- व्यतक्रिम ज़मानत या डफ़ॉल्ट ज़मानत (Default Bail) उस परद्रिश्य में अर्जति ज़मानत का अधिकार है जब पुलसि न्यायिक हरिसत में रखे गए कसिी व्यक्त के संबध में एक नरिदषित अवध के भीतर जाँच पूरी करने में वफिल रहती है।
  - इसे सांवधिक ज़मानत (Statutory Bail) के रूप में भी जाना जाता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC) की धारा 167(2) में इसे प्रतषिठापति कया गया है।
- संहिता की धारा 167 (1) के अनुसार, यदपिरीत हो कि 24 घंटे की अवध के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं कया जा सकता है तो पुलसि द्वारा संदगिध व्यक्त को नकिटतम न्यायिक मजसिट्रेट के समक्ष पेश करने और पुलसि या न्यायिक हरिसत के लिये आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- धारा 167(2) के तहत, मजसिट्रेट अभियुक्त को 15 दनों तक पुलसि हरिसत में रखने का आदेश दे सकता है। 15 दनों की पुलसि हरिसत अवधिसे आगे के लिये मजसिट्रेट द्वारा अभियुक्त को न्यायिक हरिसत में नरिद्ध करने के लिये प्राधिकृत कया जा सकता है, जहाँ अभियुक्त को नमिनलखित अवधिसे अधिक के लिये नरिद्ध नहीं कया जा सकता:
  - 90 दिन से अधिक की अवधि के लिये, जहाँ अन्वेषण एसे अपराध के संबध में है जोमृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिये कारावास से दंडनीय है;
  - 60 दिन से अधिक की अवधि के लिये जहाँ अन्वेषण कसिी अन्य अपराध की जांच करने के संबध में है
  - नारकोटक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबसटेंस एक्ट जैसे कुछ वशिष कानूनों के मामले में यह अवधि भिन्न हो सकती है।
  - नारकोटक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबसटेंस एक्ट में यह अवधि 180 दिन है।
- यदिस अवधि के अंत तक जाँच पूरी नहीं होती है तो न्यायालय उस व्यक्त को रहिा कर देगी "यदिवह ज़मानत के लिये तैयार है और इसे प्रस्तुत करता है।" इसे डफ़ॉल्ट ज़मानत के रूप में जाना जाता है।

## रति छाबड़िया केस

- रति छाबड़िया मामले के नरिणय में न्यायालय ने कहा कि **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167 (2) के तहत डफिॉल्ट ज़मानत का अधिकार** केवल एक सांविधिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक **मूल अधिकार** है जो अभियुक्तों की 'राज्य की अबाध और मनमानी शक्ति' से रक्षा के लिये **संवधान के अनुच्छेद 21** से शक्ति प्राप्ता करता है।
- रति छाबरिया मामले में न्यायालय ने नरिणय दिया कि जाँच पूरी किये बिना जाँच एजेंसी द्वारा दायर किये गये अपूरण आरोप-पत्र अभियुक्त के डफिॉल्ट ज़मानत के अधिकार को पराजति नहीं करेगा।
  - इस मामले में देखा गया कि जाँच अधिकारियों द्वारा नियमिति रूप से 60/90-दिने की अवधि के भीतर अपूरण या पूरक आरोप-पत्र दायर किये गये ताकि अभियुक्त को डफिॉल्ट ज़मानत की मांग करने से अवरुद्ध किये जा सके।

## डफिॉल्ट ज़मानत से संबंधित अन्य मामले

- सीबीआई बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी (1992):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त की गरिफ्तारी के बाद **अधिकतम 15 दिनों के लिये पुलिस हरिसत** को प्राधिकृत कर सकता है। इस अवधि के बाद, कोई और नरिोध न्यायिक हरिसत के रूप में होनी चाहिये, उन मामलों को छोड़कर जहाँ वही अभियुक्त **किसी अन्य घटना या संव्यवहार से उत्पन्न** एक अलग मामले में आरोपित बनाया जाता है। ऐसी स्थितियों में मजिस्ट्रेट पुलिस हरिसत को फरि से प्राधिकृत करने पर वचिार कर सकता है।
- उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001):**
  - संजय दत्त बनाम महाराष्ट्र राज्य के नरिणय को आधार लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **अभियुक्त द्वारा डफिॉल्ट ज़मानत के अपने अधिकार का उपयोग करना तब माना जाएगा** जब उसने उसने इसके लिये ही आवेदन किये हो, न कि उसे जहाँ उसे डफिॉल्ट ज़मानत पर रहि कर दिया गया है।
  - यदि अभियुक्त के पक्ष में डफिॉल्ट ज़मानत का आदेश पारित किये जाता है, लेकिन वह ज़मानत देने में वफिल रहता है और इस बीच आरोप-पत्र दायर कर दिया जाता है तो डफिॉल्ट ज़मानत का उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा।
- अचपाल बनाम राजस्थान राज्य (2018):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि कोई जाँच रिपोर्ट, भले ही पूरण हो, यदि यह एक अनधिकृत जाँच अधिकारी द्वारा दायर की जाती है तो अभियुक्त को डफिॉल्ट ज़मानत का लाभ उठाने से अवरुद्ध नहीं किये जा सकता है।
- जसबीर सहि बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (2023):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि कोई अभियुक्त इस आधार पर डफिॉल्ट ज़मानत मांगने का हकदार नहीं है कि आरोप-पत्र (यद्यपि वह अपेक्षिति अवधि के भीतर दायर किये गये हो) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत मंजूरी की कमी के कारण 'अपूरण' बना हुआ है।

## डफिॉल्ट ज़मानत के पक्ष में तरक

- नरिदोषता की धारणा:** डफिॉल्ट ज़मानत 'दोषी सिद्ध होने तक नरिदोष' (innocent until proven guilty) के मौलिक सिद्धांत को अक्षुण्ण रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि जिने व्यक्तियों पर अपराध का आरोप लगाया गया है, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अनश्चितिकालीन पूर्व-वचिारण नरिोध के अधीन नहीं रखा जा सकता।
- नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा:** डफिॉल्ट ज़मानत नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि पर्याप्त साक्ष्य और एक औपचारिक वचिारण के बिना लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किये जाए; इस प्रकार, नषिपक्षता एवं न्याय के सिद्धांतों का प्रसार करती है।
- पुनरवास और स्थापन को बढ़ावा देना:** डफिॉल्ट ज़मानत अभियुक्तों को पुनरवास और स्थापन के लिये अपने समुदायों में बने रहने में मदद करती है, जहाँ वे कार्य करने और अपने परिवारों का पोषण करने से संलग्न होते हैं; इस प्रकार, दोषी नहीं पाए जाने पर उनके सफल पुनरस्थापन की संभावना बढ़ जाती है।
- शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश:** डफिॉल्ट ज़मानत जाँच एजेंसियों द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग के वरिद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। यह अधिकारियों को साक्ष्य पेश किये बिना और उपयुक्त अवधि के भीतर आरोप तय किये बिना अनुपयुक्त तरीके से व्यक्तियों को हरिसत में रखने से रोकती है।
- नरिोध और स्वतंत्रता में संतुलन:** डफिॉल्ट ज़मानत संभावित फरारी जोखिमों को रोकने की आवश्यकता और किसी व्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के बीच संतुलन का नरिमाण करती है। यह न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा नरिधारित समयसीमा के भीतर साक्ष्य पेश कर सकने की क्षमता के आधार पर नरिंतर नरिोध में रखने की आवश्यकता का आकलन कर सकने का अवसर देती है।
- जेलों में भीड़भाड़ को कम करना:** डफिॉल्ट ज़मानत यह सुनिश्चित करके **जेल की भीड़भाड़** को कम करने में मदद करती है कि जिने व्यक्तियों पर तुरंत आरोपपत्र दाखलि नहीं किये गये हैं या जिने पर मामले कमज़ोर हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से हरिसत में नहीं रखा जाए। यह जेल संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग में योगदान देती है।

## डफिॉल्ट ज़मानत के वपिपक्ष में तरक

- **संभावति रूप से खतरनाक व्यक्तियों को ज़मानत देने का जोखिम:** जब अभियोजन पक्ष नरिधारति समय अवधिके भीतर आरोप दाखलि करने में वफिल रहता है तो डफिऑल्ट ज़मानत दी जाती है। ऐसे मामलों में स्वतः ज़मानत देना जोखमि उत्पन्न कर सकता है यदि अभियुक्त संभावति रूप से खतरनाक व्यक्ता है या समाज के लयि खतरा है। यह सार्वजनकि सुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है और प्रभावी कानून प्रवर्तन में बाधा डाल सकता है।
- **जाँच प्रक्रयिा को कमज़ोर करना: स्वतः** ज़मानत प्रावधान संभावति रूप से जाँच प्रक्रयिा को कमज़ोर कर सकते हैं। यदि अभियुक्त को आरोप दायर कयि बनिा डफिऑल्ट ज़मानत पर रहिा कर दयिा जाता है तो यह स्थति साक्ष्य इकट्ठा करने में बाधा उत्पन्न सकती है या एक मज़बूत मामला बनाने की अभियोजन पक्ष की क्षमता को बाधति कर सकती है। इससे न्याय मलिना कठनि हो सकता है और मामलों के नषिपक्ष समाधान में बाधा आ सकती है।
- **जवाबदेही और सार्वजनकि धारणा:** इससे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता कि अभियुक्त उचति प्रक्रयिा का सामना कयि बनिा या अपने कथति अपराधों के लयि जवाबदेह ठहराए बनिा छूट रहे हैं।
- **पीडतिों के अधकिारों को कमज़ोर करना:** स्वतः ज़मानत देने से पीडतिों के समयबद्ध न्याय पाने के अधकिार बाधति हो सकते हैं और मामले में शामिल वभिन्न पक्षों के प्रति वियवहार में अन्याय या असमानता की भावना उत्पन्न हो सकती है।

## आगे की राह

- **समयसीमा की समीक्षा और परशिोधन:** गहन जाँच सुनशिचति करने और अनावश्यक देरी से बचने के लयि मामले की जटलिता के आधार पर आरोप दाखलि करने की मौजूदा समयसीमा की समीक्षा और परशिोधन की आवश्यकता है।
- **न्यायकि वविक को संलग्न करना:** न्यायपालकिा को सार्वजनकि सुरक्षा के लयि जोखमि पैदा करने वाले या जाँच प्रक्रयिा में बाधा डालने वाले मामलों में डफिऑल्ट ज़मानत से इनकार करने का वविक प्रदान करने से न्यायाधीशों को व्यक्तगित परस्थितयिों के आधार पर सूचना-संपन्न नरिणय लेने का अवसर मलि सकता है।
- **संवीक्षा और शर्तों की वृद्धकिरना:** कड़ी संवीक्षा लागू करने और डफिऑल्ट ज़मानत देने के लयि उपयुक्त शर्तें लागू करने (जैसे कि सख्त रपिऑरटगि आवश्यकताएँ) की आवश्यकता है।
- **कानूनी कार्यवाही में तेज़ी लाना:** अवसंरचना में नविश, जाँच क्षमताओं की वृद्धि, न्यायाधीशों एवं न्यायालय कर्मचारयिों की संख्या बढ़ाने और केस प्रबंधन तकनीकों को लागू करने के माध्यम से कानूनी कार्यवाही में तेज़ी लाई जाए।
- **पीडति-केंद्रति दृष्टकिोण का पालन करना:** मामले की प्रगत के बारे में समयबद्ध सूचना प्रदान करके पीडतिों के अधकिारों एवं हतिों को चहिनति कयिा जाए और एक संतुलति दृष्टकिोण सुनशिचति करने के लयि, जहाँ भी उपयुक्त हो, उन्हें ज़मानत नरिणय लेने की प्रक्रयिा में शामिल कयिा जाए।

**अभ्यास प्रश्न:** हाल की प्रगतयिों के आलोक में, भारत की आपराधकि न्याय प्रणाली में डफिऑल्ट ज़मानत की अवधारणा की चर्चा करें। अभियुक्तों के अधकिारों की रक्षा करने और शीघ्र न्याय सुनशिचति करने में इसके महत्त्व का परीक्षण करें।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखति कथनों पर वचिार कीजयि:** (2021)

1. न्यायकि हरिसत का अर्थ है कएक आरोपी संबंधति मजसिट्रेट की हरिसत में है और ऐसे आरोपी को पुलसि थाने में बंद कर दयिा गया है, जेल में नहीं।
2. न्यायकि हरिसत के दौरान मामले के प्रभारी पुलसि अधकिारी को अदालत की मंजूरी के बनिा संदगिध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर: B**